2005 में इंडस्ट्रियल लीज से बाहर हुई जमीन पुनः होगी शामिल

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने दिए निर्देश

जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन. नगर विकास विभाग ने फिर से मांगा प्रस्ताव

इंडस्ट्रियल टाउन में लीज से बाहर की गयी 15725 एकड़ भूमि होगी शामिल

प्रमुख संवाददाता ▷ जमशेदपुर

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने टाटा स्टील के प्रतिनिधि और उपायुक्त को 2005 में लीज से बाहर की गयी सभी बसावटों (सेटेलमेंट) को जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन में शामिल करने और प्रस्तावित जेआइटीसी का डिमार्केशन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसमें जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के संपूर्ण भाग की लगभग 15,725 एकड़ भूमि शामिल होगी. विकास आयुक्त जेआइटीसी के प्रशासक, जो वैधानिक सेल के इंचार्ज भी होंगे. इस पद पर एसडीओ या उससे उच्च स्तर के पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. जमशेदपुर औद्योगिक नगर गठन को लेकर विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में रांची में आयोजित बैठक में उपायुक्त व टाटा स्टील लिमिटेड को फिर से नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को परिष्कृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है. बैठक में नगर विकास सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने 2012 में ही जमशेदपुर को इंडस्ट्रीयल टाउन के गठन पर लिए लिये गये निर्णय में तीन शर्तों का उल्लेख किया है. इसमें टाटा स्टील को सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी (सीए नंबर. 467/2008) को वापस लेना होगा.

● बाकी पेज 08 पर

सचिव, उपायुक्त और टाटा स्टील के साथ बैठक में कई मुद्दों पर बनी सहमति

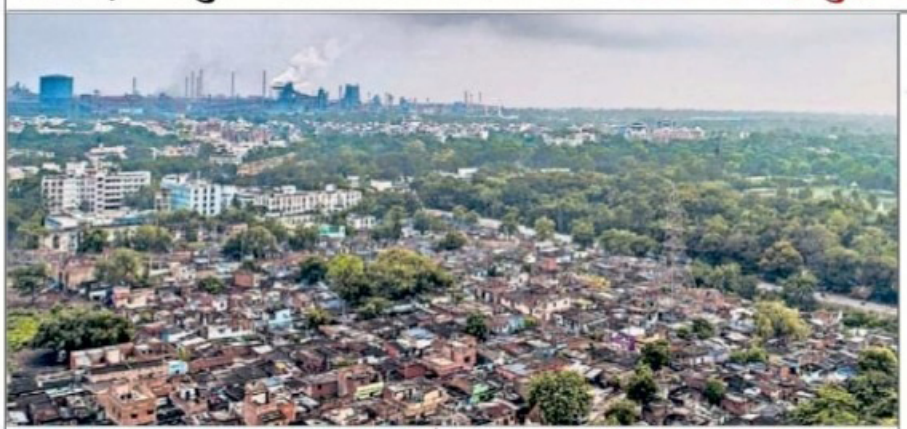

इन मुद्दों पर सर्वसम्मति

बैठक में सर्वसम्मति बनी कि सरकार की ओर से वैधानिक और अनुदान राशि एससी के पास आयेगी, इसमें एक प्रोजेक्ट एक्सक्यूटिव विंग होगा, जो परियोजना को क्रियान्वित करेगा. एमपी और एमएलए के लिए यह प्रोजेक्ट विंग एक्सक्यूशन एजेंसी होगी और शेष सरकारी राशि के लिए परियोजना का निर्णय और सहमति जेआइटीसी द्वारा की जायेगी. बैठक में इस पर भी सर्वसम्मति बनी कि उन सभी घरों के लिए जिनका सबलीज-स्वामित्व तय किया गया है, होल्डिंग टैक्स एकत्र किया जायेगा और उन सभी क्षेत्रों के लिए जहां मकान का स्वामित्व-सबलीज परिभाषित नहीं है, एक नागरिक सुविधा शुल्क लिया जायेगा.

टाटा स्टील शर्तों पर दे चुकी है अपना जवाब

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव ने बैठक में बताया कि टाटा स्टील पूर्व में ही उपरोक्त शर्तों पर जवाब दे चुकी है, जिन पर 2005 में भूमि लीज की गयी थी. दो नवंबर 2020 को नगर विभाग के सचिव की अध्यक्षता में इस मामले की बैठक के आधार पर ये भूमि वापस लेने के लिए सहमत हैं, जिसे वर्ष 2005 में पट्टे के नवीनीकरण के दौरान बाहर रखा गया था. यह भी उल्लेख किया गया था कि टाटा स्टील लिमिटेड उपरोक्त क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है. विकास आयुक्त द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर गठित किये जाने वाले संलेख में राजस्व विभाग की सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया.

औद्योगिक टाउनशिप में दो बॉडी, विशेष कोषांग

उपायुक्त सूरज कुमार ने जमशेदपुर औद्योगिक नगर गठन संबंधी अपने प्रेषित प्रस्ताव पर बताया कि कमेटी के अंतर्गत दो अलग-अलग बॉडी होंगी, जिसमें एक सांविधिक-वैधानिक सेल (एससी) व दूसरी इंडस्ट्रीयल इस्टैब्लिशमेंट (आइइ) कार्य करेंगे. टाउनशिप की प्रस्तावित समिति की संरचना पर विचार किया गया और कोरम सहित प्रस्ताव में दर्शाये गये सदस्यों की संख्या पर सहमति दी. उपायुक्त ने एमपी, एमएलए स्वैच्छिक निधि के लिए एक विशेष कोषांग गठन का प्रस्ताव रखा, जिस पर विकास आयुक्त ने सहमति दी.

ये होंगे मुख्य कार्य

एससी सेल लाइसेंसिंग गतिविधियां, सर्टिफिकेशन, मेंटनेंस ऑफ रिकार्ड और केंद्रांश, राज्यांश सांसद, विधायक स्वैच्छिक निधि और अन्य अनुदान प्राप्त करेगा और राशि का व्यय करेगा. आइइ म्युनिसिपल सर्विस उपलब्ध कराने, नागरिक सुविधा शुल्क और होल्डिंग टैक्स वसूली का कार्य करेंगे.

नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार
Toll free no.: 1800-120-2929 | Website : www.dmajharkhand.in | Follow us on : @JharkhandDMA